

संचालनालय लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (ए)/03/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/351
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.12.2018

जिला शिक्षा अधिकारी,
नरसिंहपुर एवं धार
विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मुरार
म.प्र.।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 1500-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

---00---

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 1500-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 001 निदेशन और प्रशासन 1500 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना 8888 - V - 11 - 009 वेतन भत्ते चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.श्री राजेश कुमार नामदेव, जूनियर, ऑडिटर, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला नरसिंहपुर। 2.श्री सुरेश चंद्र, भृत्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मुरार, ग्वालियर। 3.श्री मुकेश राठौर, भृत्य, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, धार।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नरसिंहपुर। 2602003003 विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मुरार। 1402003026 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला धार। 1102003002	33,750 45,863 51,149
(अक्षरी राशि रु. एक लाख तीस हजार सात सौ बासठ मात्र)			1,30,762

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
5. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है, यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"


(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

//02//

पृष्ठा. क्रमांक/बजट (ए)/03/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/352 भोपाल, दिनांक 22.12.2018
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. ।
2. जिला कोषालय अधिकारी- नरसिंहपुर, ग्वालियर, धार म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी - ग्वालियर म.प्र.।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
5. संबंधित कर्मचारियों सरल क्रमांक 1 से 3 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट(ए)/18/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/353
प्रति,

भोपाल,दिनांक: 22/12/2018

विकासखंड शिक्षा अधिकारी,
रतलाम, सिवनी मालवा (होशंगाबाद)

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 3930-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 3930-11-009 अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-


बजट शीर्ष / मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ के नाम	स्वीकृत राशि
27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 001 निर्देश एवं प्रशासन 3930 विकासखण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना।	श्री भारतसिंह सोनगरा, प्रधान लिपिक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रतलाम।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रतलाम 3102003033	106471
0101 सामान्य शिक्षा 11 वेतन, भत्ते V मतदेय 009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	श्री प्रकाश पवार, भृत्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सिवनी मालवा। 1652003007	81000
कुल योग (एक लाख सतासी हजार चार सौ इकहत्तर रुपये मात्र।)		कुल योग :- 1,87,471/-	

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"


(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण, म.प्र.।


10
1/2/1

पृ.क्रमांक/बजट(ए)/18/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/334

भोपाल,दिनांक: 22/12/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी, जिला - रतलाम, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - रतलाम, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय की ओर सर्वर में राशि फीड करने हेतु प्रेषित।
5. संबंधित कर्मचारी सरल क्रमांक 01 एवं 02 की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.।

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल - 462021

क्रमांक/बजट(ए)/11/2018-19/ 355

भोपाल,दिनांक:-22/12/2018

प्रति,

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
सीहोरा (जबलपुर)
मध्यप्रदेश।

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 4193-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 4193-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


बजट शीर्ष /मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ के नाम	स्वीकृत राशि
40 शिक्षा (प्रा. शिक्षा)	श्री एस.के.चौबे, सहायक शिक्षक (विज्ञान), शासकीय उमावि गांधीग्राम, जबलपुर।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सीहोरा। 1802003061	178289
2202 सामान्य शिक्षा			
02 माध्यमिक शिक्षा			
109 राजकीय मा.वि.			
4193 शासकीय वि.में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यवसायिकरण			
11 वेतन भत्ते			
8888 -----			
V मतदेय			
009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति			
कुल योग (एक लाख अठहत्तर हजार दो सौ नवासी रूपये मात्र।)			

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संचितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


(संजय कुमार)


2 संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.।

11211

भोपाल, दिनांक:- 22/12/2018

पृ.क्रमांक/बजट(ए)/11/2018-19/ 356
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी - जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी - जबलपुर मध्यप्रदेश।
4. सहायक संचालक (बजट) की ओर बजट फीड किए जाने हेतु।
5. संबंधित कर्मचारी श्री एस.के.चौबे, सहायक शिक्षक (विज्ञान), शासकीय उमावि गांधीग्राम, जबलपुर।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.।

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.

गौतम नगर, भोपाल - 462021

भोपाल, दिनांक : 22-12-2018

क्रमांक/बजट (ए)/34/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/357
प्रति,

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,

विकास खण्ड फंदा, बैरसिया (भोपाल), उदयपुरा (रायसेन), आष्टा (सीहोर), रीठी, शहपुरा जबलपुर (जबलपुर), भिंड, करेली (नरसिंहपुर), रहली (सागर), दमोह, ग्वालियर, किरनापुर (बालाघाट), मध्यप्रदेश

2. प्राचार्य, शासकीय सुभाष उमावि, शिवाजी नगर, भोपाल।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में।

---00---

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 0581-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में नियमानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1. श्रीमती नंदा राय, सहायक ग्रेड - 3, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उमावि, भोपाल।	प्राचार्य, शासकीय सुभाष उमावि, शिवाजी नगर, भोपाल। 0522003008	64205
2202 सामान्य शिक्षा	2. श्री अरुण कुमार जैन, व्याख्याता, शास. नवीन कन्या उमावि तुलसी नगर, भोपाल।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड फंदा। 0502003006	217710
02 माध्यमिक शिक्षा	3. श्री श्रवण कुमार शर्मा, लेखापाल, शास. बालक उमावि, उदयपुरा, रायसेन।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड उदयपुरा। 2962003066	270728
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	4. श्री मानसिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड - 2, शास. उमावि, सिद्धिकगंज, सीहोर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड आष्टा। 3512003014	106199
0581 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाये	5. श्री इसहाक मिज, प्राचार्य, शास. उमावि, हथकुरी, रीठी, जबलपुर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रीठी 2002003044	60772
11 वेतन, भत्ते	6. श्री सुरेन्द्र सिंह नरवरिया, व्याख्याता, शास. म.ल.ब.क. उमावि, भिण्ड।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड भिण्ड। 0402003047	100000
8888 -	7. श्री घनश्याम कुरील, प्राचार्य, शास. उमावि, नयाखेडा, करेली, नरसिंहपुर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड करेली। 2632003049	63890
V मतदेय	8. श्रीमती वर्षा सेनी, सहायक ग्रेड - 2, शास. कन्या उमावि, रहली, सागर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रहली। 3302003009	678503
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9. श्रीमती वर्षा पाठक, प्राचार्य, शास. हाईस्कूल, जमूसर कलां, बैरसिया, भोपाल।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बैरसिया। 0502003048	99540
	10. श्री नरेन्द्र कुमार जैन, व्याख्याता, शास. म.ल.ब.क. उमावि, दमोह।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड दमोह। 0802003002	280231
	11. श्रीमती राजकुमारी मिश्रा, व्याख्याता, शास. उमावि, रानीदुर्गावती गढा, जबलपुर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड जबलपुर। 1802003068	235420
	12. श्रीमती जयश्री पुराविया, प्राचार्य, शास. उत्कृष्ट उमावि, शहपुरा, जबलपुर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शहपुरा। 1802003002	202930

//02//

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	13. श्रीमती गीता सिंह, शिक्षक, शास.हाई स्कूल रामपुर, जबलपुर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड जबलपुर। 1802003068	41639
2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 0581 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाएँ	14. श्री राजाराम काछी, भृत्य, शास.उमावि, तमरहाई, जबलपुर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड जबलपुर। 1802003068	60649
11 वेतन, भत्ते 8888 - V मतदेय 009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	15. श्री आदर्श कुमार पंडित, प्राचार्य, शास.उमावि, पाटई, ग्वालियर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड ग्वालियर (काटीगाँव) 1402003027	79247
	16. श्री लालचंद्र रगारे, प्राचार्य, शास.उमावि, कुण्डा मोहगांव, बालाघाट।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड किरनापुर। 0102003013	250000
(अक्षरी राशि रु.अठ्ठाईस लाख ग्यारह हजार छः सौ तिरेसठ मात्र)			28,11,663/-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।
"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ. क्रमांक/बजट (ए)/34/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/358 भोपाल, दिनांक : 22-12-2018
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला - भोपाल, रायसेन, सीहोर, भिंड, नरसिंहपुर, सागर, दमोह जबलपुर, ग्वालियर, बालघाट म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला - भोपाल, रायसेन, सीहोर, भिंड, नरसिंहपुर, सागर, दमोह जबलपुर, ग्वालियर, बालघाट म.प्र.।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
5. संबंधित कर्मचारिगण सरल क्रमांक 01 से 16 तक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (ए)/0581/चिकि.व्य./2018-19/375 भोपाल, दिनांक : 28/12/2018
प्रति,

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकास खण्ड जैसीनगर म.प्र.।

विषय : चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

—00—

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 0581-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरण में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) 2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 0581 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाये 11 वेतन, भत्ते 8888 - V मतदेय 009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	श्री वाजिद अली खान, से. नि. व्याख्याता, विलहरा, जैसीनगर, जिला सागर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड जैसीनगर। 3302003005	65,383
योग :- (अक्षरी राशि रूपये पैसठ हजार तीन सौ तिरासी मात्र)			65,383/-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जावेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"


(संजय कुमार)

2 संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.

//02//

पृष्ठा.क्रमांक / बजट(ए) / 0581 / चिकि.व्य. / 2018-19 / 376 भोपाल, दिनांक : /28/12/2018
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. ।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला - सागर मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला - सागर मध्यप्रदेश।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
5. श्री वाजिद अली खान, से.नि. व्याख्याता, विलहरा, जैसीनगर, जिला सागर, म.प्र. ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.

संचालनालय लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (ए)/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/ 313
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28.12.2018

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,

विकास खण्ड इन्दौर जिला इन्दौर म.प्र.।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

—00—

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 0581-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में नियमानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	01. श्रीमती अनिता भारती, व्यायाम शिक्षिका, शा.मालव कन्या उमावि इन्दौर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौर 1742003043	36400
2202 सामान्य शिक्षा	02. श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी, गणक, शा.उमावि गांधीनगर इन्दौर म.प्र.।		5626
02 माध्यमिक शिक्षा	03. श्री भुवनेश्वर पाल, भृत्य शा. हाईस्कूल पागनीसपागा इन्दौर म. प्र.।		333382
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
0581 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालायें			
11 वेतन, भत्ते			
8888 -			
V मतदेय			
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति			
(राशि रु. तीन लाख पचहत्तर हजार चार सौ आठ मात्र)			375408/-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"


(संजय कुमार)


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.

//02//

पृ. क्रमांक/बजट (ए)/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/374
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 28.12.2018

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. ।
2. जिला कोषालय अधिकारी- इन्दौर म.प्र. ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला इन्दौर म.प्र. ।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. ।
5. संबंधित कर्मचारिगण स.क्र. 1 से 3 तक
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.